Date: 12 **जुलाई** 2023

भारतीय अंतरिक्ष नीति- 2023

पाठ्यक्रम: जीएस 3 / विज्ञान और प्रोद्योगिकी, अंतरिक्ष

संदर्भ-

- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 के अनुरूप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जल्द ही छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के बीच अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (एसएसएलवी) को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023-

- पृष्ठभूमि: अप्रैल 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी।
- उद्देश्य: नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और अनुसंधान , शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को एक बड़ी भागीदारी देने का प्रयास करती है। इसमें इसरो , अंतरिक्ष क्षेत्र के पीएसयू न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया गया है।
- अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) विस्तृत नीति निर्देशों के माध्यम से इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।
- प्रयोज्यता: यह नीति भारतीय क्षेत्र से या भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होती है, जिसमें इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक का क्षेत्र शामिल है।

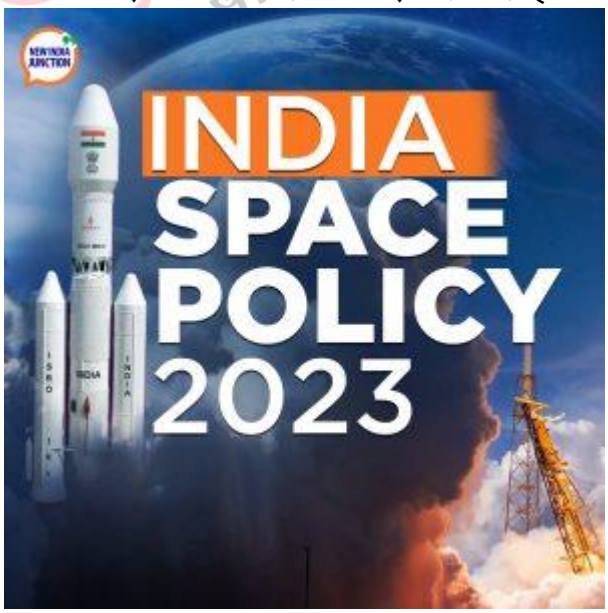

पॉलिसी की प्रमुख बिन्दु-

- इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कोई परिचालन और उत्पादन कार्य नहीं करेगा। इसरो के मिशनों के परिचालन भाग को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- इसरो मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास और बाहरी अंतरिक्ष की मानव समझ के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है।
- इसरो का गठन 15 अगस्त, 1969 को किया गया था।
- इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है।
- इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए , इसरो ने संचार , दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं , अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है।
- इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV और GSLV विकसित किए हैं।
- इसरो का मुख्यालय बेंगलूरु में स्थित है तथा इसकी गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)–

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा।
- अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है , जो गैर-सरकारी निजी उद्यमों (एन.जी.पी.ई.) को अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं का अंतरिक्ष संबंधी क्रियाकलापों के उपयोग तथा प्रमोचन संबंधी घोषणा को वरीयता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करती है।
- INSPACE इसरो और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) के बीच इंटरफेस होगा।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)-

- अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एनएसआईएल सार्वजनिक व्यय के माध्यम से बनाई गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के व्यावसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा।
- NSIL ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष घटकों , प्रौद्योगिकियों, प्लेटफार्मों और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण, पट्टे या खरीद करेगा।

गैर-सरकारी संस्थाएं (एनजीई)-

- एनजीई को अंतरिक्ष वस्तुओं , भूमि-आधारित परिसंपत्तियों और संबंधित सेवाओं जैसे संचार , रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन आदि की स्थापना और संचालन के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड-टू-एंड गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाएगी।
- एनजीई को स्व-स्वामित्व , प्राप्त या पट्टे पर भूस्थैतिक कक्षा (जीएसओ) और गैर-भूस्थैतिक उपग्रह कक्षा (एनजीएसओ) उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति है। एनजीएसओ पृथ्वी की निचली कक्षा या मध्यम पृथ्वी की कक्षाओं का एक संदर्भ है जो अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाले उपग्रहों का घर है।

- एनजीई को टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड (टीटीएंडसी) अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर (एससीसी) जैसे अंतरिक्ष वस्तुओं के संचालन के लिए जमीनी सुविधाएं स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आगे की राह-

- यह नीति सभी अंतरिक्ष गतिविधियों , विशेष रूप से अंतरिक्ष संचार और अन्य अनुप्रयोगों के बारे में बहुत आवश्यक स्पष्टता प्रदान करती है। यह नीति देश के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसर को चलाने के लिए निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ाएगी।
- वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था **का मूल्य वर्तमान में लगभग 360 बिलियन अमरीकी डालर है**। दुनिया के कुछ अंतरिक्ष देशों में से एक होने के बावजूद, भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2% हिस्सा है।
- पिछले 2 दशकों में, अन्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाले कंपनियों में , स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और एरियनस्पेस जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने लागत और टर्नअराउंड टाइम को कम करके अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
- हालांकि, भारत में, निजी अंतरिक्ष उद्योग के भीतर खिलाड़ी सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विक्रेता या आपूर्तिकर्ता होने तक सीमित रहे हैं। इस प्रकार , भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) के लिए गुंजाइश प्रदान करने की आवश्यकता थी।
- यद्यपि, 2020 तक, भारत सरकार ने अंतरिक्ष डोमेन में एनजीई की बढ़ती भागीदारी के लिए दरवाजे खोल दिए , लेकिन एक संपन्न अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नियामक निश्चितता प्रदान करने की आवश्यकता थी।

स्रोत: आकाशवाणी

Rajiv Pandey

प्रवर्तन निदेशालय

- प्रारंभिक परीक्षा – प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन प्रश्नप्रत्र 2 – प्रवर्तन निदेशालय

संदर्भ-

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केंद्र का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय (ED) डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार विस्तार देना गैरकानूनी है।

प्रमुख बिन्दु-

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा था कि दूसरी बार ED डायरेक्टर का कार्यकाल न बढ़ाया जाए , लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के ED डायरेक्टर का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार कानून बनाकर जांच एजेंसियों का कार्यकाल बढ़ा सकती है , लेकिन ऐसा करने के लिए अध्यादेश लाना वैध नहीं है। मामले में सरकार का दावा है कि ED डायरेक्टर की जगह अभी कोई दूसरा अफसर नहीं खोजा जा सका है।
- मनी लॉन्ड्रिंग और FATF जैसे कई मामले वर्तमान ED डायरेक्टर की देखरेख में हैं। ऐसे में हमें नई नियुक्ति के लिए अधिक समय चाहिए।
- नवंबर 2018 में, ED डायरेक्टर को दो साल का सेवा विस्तार केंद्रीय सरकार ने दिया था। इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक वर्ष और सेवा दे दी।

केंद्र सरकार का अध्यादेश-

- नवंबर 2021 में, केंद्र सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश जारी किया।
- इस संशोधन ने ED और CBI जैसे जांच एजेंसियों के निदेशकों को पांच साल तक का एक्सटेंशन देने की अनुमति दी।

प्रवर्तन निदेशालय-

- आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना बहुअनुशासनिक संस्था प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का काम है।
- इसकी स्थापना 1 मई, 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 (फेरा, 1947) में विनिमय नियंत्रण नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। वर्तमान में, निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान फेरा , 1973 का नियामक कानून खारिज कर दिया गया और 01 जून, 2000 से नया कानून विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 फेमा लागू किया गया। बाद में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन कानूनों के अनुरूप था. दिनांक 01.07.2005 से, प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए को प्रवर्तित करने की जिम्मेदारी दी गई।
- हाल ही में , विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FOCA) पारित किया है, जो 21 अप्रैल, 2018 से प्रवर्तन निदेशालय को लागू करने का अधिकार देता है।

कार्य-

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था है जो विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों की जाँच करता है।
- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- ED, भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी, संविधान और कानूनों की सख्त पालना सुनिश्चित करता है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

Rajiv Pandey